

11.20/7

पञ्जावली राष्ट्रिय जीवन, अदालत  
 में भेज। तादी अधिवक्ता ने बताया  
 कि, मैंने पञ्जावली में दिलावा, 12.3.16  
 को ही र्थ अहमम पर किरावा कार भुगतान  
 कर दिया गया की प्रकरण में आगे कोई  
 कोपवाइ नहीं चाहते हैं प्रकरण को  
 बराने। अतः प्रकरण को कोप विषय  
 जाना।

तादी ववादी के अधिवक्ता वाप  
 पत्र में आगे कोई कोपवाइ नहीं चाहते  
 हैं। पञ्जावली श्वरीज को जानती हैं।  
 पञ्जावली पंशाल शुमार होकर  
 नम्बर में काम हो।

सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा